नई समिति निबिन्धत कराने विषयक आवश्यक प्रपत्र/ निर्देश

1–निबन्धन प्रार्थना पत्र/ उपविधि प्राप्त करने हेतु सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता, सम्बन्धित जनपद को सम्बोधित प्रार्थना पत्र जिसमें विभागीय' अधिकारी को अधिकृत करने का अनुरोध के साथ–साथ सदस्यो की सूची।

2– सदस्यो की सूची , निबन्धन प्रार्थना पत्र भाग–1 के अनुसार

क्रमसं0	नामसदस्य	पिता/पति कानाम	उम्र	ब्यवसाय	निवास स्थान	ग्राम अथवा कस्बा	पो0
1	2	3	4	5	6	7	8

जनपद	फोटो	सदस्य के हस्ताक्षर	विभागीय अधिकारी का हस्ताक्षर
9	10	11	12

3– वेतनभोगी सहकारी समिति हेतु विभागाध्यक्ष से समिति के गठन हेतु संस्तुति का पत्र ।

4– वेतनभोगी सहकारी समिति की दशा में विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण पत्र समिति निबिन्धत होने के पश्चात् समिति द्वारा जो ऋण वसूली की मॉग की जायेगी उसे उसकी मॉग के अनुसार सदस्यो के वेंतन से कटौती कर समिति खाते में /सचिव को प्रेषित कर दी जायेगी। समिति के बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के (उसके सेवा समाप्त होने/ त्याग पत्र देने) अन्तिम पावन का भुगतान नही किया जायेगा।

5– मुख्य प्रर्वतक द्वारा निम्नलिखित प्रारूप पर 10–/ के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रेषित करना होगाः–

मै..............................पुत्र.............................. उम्र......................... निवासी.............................. जो कि प्रस्तावित ....समिति लि0 को मुख्य प्रवर्तक हूॅ और शपथ पूर्वक निम्न बयान करता हूॅः–

1– यह कि समिति सदस्यो का नाम व पता जो दिया गया है वही सही है।

2– यह कि समिति सदस्य एक दूसरे के निकट सम्बन्धी नही है तथा एक ही परिवार के नहीहै।

3– यह कि समिति सदस्य अपने कर्तब्यो / दायित्वों को समझते है।

4– यह कि समिति के सदस्य इस प्रकार की दूसरी समिति के सदस्य नही है।

5– यह कि निबन्धक को यह अधिकार होगा कि निबन्धन सम्बन्धी प्रपत्रो में यदि कोई संशोधन/त्रुटि तो अपने स्तर से संशोधित कर सकते है।

6–यह कि सेवायोजन आदि के सम्बन्ध में विभाग की अनुमति के विना किसी भी प्रकार का को विज्ञापन नही निकाला जायेगा ।

6–निबन्धन प्रार्थना पत्र एंव उपविधि हेतु क्रमशः 50–/ एंव 80–/कोषागार में जमा करना होगा जिसक शीर्षक निम्नवत् है ''0425– सहकारिता –800 अन्य प्राप्तियॅा (06) अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियॅा

7– कृषि एवं ग्रामीण आवास समिति के सम्बन्ध में जमीन नगर निगम के बाहर है, का नगर निगम प्रमाण पत्र ।

8– गठन हेतु कार्यवाही रजिस्टर, एजेन्डा रजिस्टर, संगठन प्रतिवेंदन ।

9– समिति के गठन हेतु कम से कम 30 सदस्य होना चाहिए जिसमें सभापति सहित प्रबन्ध कमेटी सदस्यों की संख्या 09 से कम नहीं होगी।

10– समिति सदस्यों का राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए ।

निबन्धन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना-पत्र को तैयार करने हेतु आवश्यक निर्देश

1—प्रपत्र भाग 1 के क्रम सख्या 1 पर उस व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर होंगे जो समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हो। (नियम 5)

2—मुख्य प्रवर्तक उन हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक होगा जिसमें निबन्धक, निबन्धन प्रस्ताव के सम्बन्ध में पत्र व्यवहार करेंगे। (नियम 5)

3—ऐसी स्थिति में जबकि प्रार्थी कोई समिति हो तो समिति की ओर से प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये समिति के सदस्य को अधिकृत करने हेतु पारित प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि भी निबन्धन हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न की जायगी।

4—यदि प्रस्तावित समिति कोई केन्द्रीय समिति है और प्रवर्तकों में कोई निगमित निकाय भी सम्मिलित है जैसा कि धारा 17 के उपखण्ड (ख) और (च) में दिया गया है तो ऐसे निकाय की ओर से, निबन्धन हेतु दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र, प्रपत्र भाग 2 में निकाय के प्रतिनिधि अथवा प्रत्यायुक्त द्वारा हस्ताक्षरित किया जावेगा।

5—भाग 1 या 2 को काट दें, उनमें से जो लागू न हों।

6—भाग 2 के स्तम्भ 8 के अन्तर्गत केवल वही प्रत्यायुक्त अथवा प्रतिनिधि हस्ताक्षर करने का पात्र होगा जो नियम 85 अथवा 88 के अनुसार नियुक्त किया गया हो।

7—निबन्धन हेतु दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र से सम्बद्ध अधिनियम व नियमों के प्राविधान सूचनायें एवं मार्ग दर्शन हेतु नीचे दिये हुये हैं:—

धारा 6 :-(1) समिति के निबन्धन के लिए प्रार्थना-पत्र निबन्धक को नियत रीति से ऐसे प्रपत्र में दिया जायगा जो निबन्धक समय-समय पर निर्दिष्ट करें, तथा प्रार्थी समिति के सम्बन्ध में उसे ऐसी समस्त सूचना देंगे जिसकी वह अपेक्षा करें।

(2) ऐसे प्रत्येक प्रार्थना-पत्र में निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति की जायगी, अर्थात्—

(क) इसके साथ समिति की प्रस्तावित उप-विधियों की तीन प्रतियां होंगी,

(ख) प्रार्थी धारा 17 के अधीन सदस्यता का पात्र हो,

(ग) प्रार्थना-पत्र पर प्रत्येक ऐसे प्रार्थी के, यदि वह व्यक्ति विशेष हों, और किसी यथाविधि प्राधिकृत व्यक्ति के, यदि प्रार्थी धारा 16 के खण्ड (ख) से (च) तक के किन्हीं भी खण्डों में उल्लिखित कोई व्यक्ति हो, यथाविधि हस्ताक्षर होंगे.

(घ) ऐसे प्रार्थियों की संख्या, जिन्हें समिति का साधारण सदस्य होना हो, यदि समस्त प्रार्थी व्यक्ति विशेष हों, तो दस से कम न होगी, और अन्य दशाओं में, पांच से कम न होगी,

(ङ) यदि समिति के उद्देश्यों के अन्तर्गत उसके सदस्यों को ऋण देने के लिए निधियों का सृजन करना भी हो तो समस्त प्रार्थी, जिन्हें समिति का साधारण सदस्य होना हो, यदि वे व्यक्ति विशेष हों तो एक ही गांव अथवा नगर में अथवा आसन्नवर्ती गांवों के समूह में रहते हों अथवा एक ही वर्ग के हों।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये किन्हीं दो या अधिक व्यक्तियों को एक ही वर्ग का माना जायगा यदि वे एक ही व्यवसाय करते हों अथवा एक ही सेवायोजक के अधीन हों।

85—यदि कोई सहकारी समिति किसी अन्य समिति से सम्बद्ध हो तो पूर्ववर्ती समिति पश्चातवर्ती समिति के सामान्य निकाय में प्रतिनिधियों के रूप में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिये किसी एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्ति कर सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि वह पूर्ववर्ती समिति के सामान्य निकाय का सदस्य न हो और उसमें प्रतिनिधियों के लिए नियमों में निर्धारित कोई अनर्हता न हो, प्रतिबन्ध यह भी है कि पूर्ववर्ती समिति के सदस्यों की संख्या उतनी होगी जितनी पश्चात्वर्ती समिति की उपविधियों में निर्धारित हो।

नियम 88—यदि राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, राज्य गोदाम निगम, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अधीन निबद्ध कोई समिति, तत्समय प्रवृद्ध किसी अन्य विधि के अधीन निबद्ध या निर्गमित कोई कम्पनी या अन्य निगमित निकाय, किसी सहकारी समिति का सदस्य हो तो वह समिति के सामान्य निकाय में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में सक्षम प्राधिकारी के आदेश से या सामान्य निकाय, कार्यकारिणी समिति के या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के, जैसी भी दशा हो, संकल्प से किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्ति कर सकती है।